1. सचिन आ0 श्री सुन्दरलाल
   निवासी चन्द्रशेखर बार्ड सदर बैतुल
   तहसील एवं जिला बैतुल म0प्र0
2. रगां घवांर आ0 श्री श्रीलाल पवांर
   निवासी जवाहर वार्ड तहसील एवं
   जिला बैतुल म0प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. देवेन्द्र उर्फ आशीष आ0 श्री रामलाल उर्फ शोभाराम
   निवासी महदगांव तहसील एवं जिला बैतुल म0प्र0
2. देवेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र आ0 श्री रामलाल उर्फ शोभाराम
   निवासी महदगांव तहसील एवं जिला
   बैतुल म0प्र0 ....अनावेदकगण

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण विद्वान अपर आयुक्त नर्बदापुरम सभाग होशंगाबाद द्वारा उनके प्रकरण 76/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 09/07/15 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R —पीबीआर/15 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ... आदि के हस्ताक्ष...
31–7–2015	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–7–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन का बिना निराकरण किये स्थगन आदेश पारित किया गया है और स्थगन आदेश पारित करने में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । अतः अपर आयुक्त का आदेश ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र एवं म0प्र0भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 52 के आवेदन पत्र पर सनुवाई का समुचित अवसर देते हुये आदेश पारित करें । इस निगरानी में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	